उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल

फौजदारी पुनरीक्षण संख्या 02 वर्ष 2013

कृष्ण पाल एवं अन्य .....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य .....प्रतिवादी

उपस्थितः

श्री ललित बेलवाल, पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता।
श्री एस0टी0 भारद्वाज, डिप्टी ए0जी0 सहित सुश्री शिवांगी गंगवार संक्षिप्त धारक राज्य की ओर से।

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

यह फौजदारी पुनरीक्षण विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा दिनांक 08.08.2012 को फौजदारी वाद संख्या 450 वर्ष 2011 ''राज्य बनाम कृष्णपाल शर्मा और अन्य'' में पारित निर्णय और आदेश के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसमें पुनरीक्षणकर्ताओं को भा0द0सं0 की धारा 326 के तहत दोषी ठहराया गया और उपरोक्त धारा के तहत डिफॉल्ट शर्त के साथ 3,000/– रुपये (केवल तीन हजार रुपये) के जुर्माने के साथ तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दिनांक 08.08.2012 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तों ने फौजदारी अपील संख्या 181/2012 में सत्र न्यायाधीश, उधम सिंह नगर के समक्ष अपील दायर

की, जिसे भी आदेश दिनांक 13.12.2012 द्वारा खारिज कर दिया गया, इसलिए इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण योजित की गयी है।

2. अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह है कि अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता के अनुसार, हरदारी लाल पुत्र सोहन लाल, निवासी वार्ड नंबर 4, नई बस्ती, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर ने दिनांक 18.06.2009 को पुलिस स्टेशन कोतवाली, रुद्रपुर, जिला उधम सिंग नगर में एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि वह एक मजदूर है और मजदूरी करके अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। घटना दिनांक 18.06.2009 को लगभग 06:30 बजे की है, उसके पड़ोसी कृष्णपाल और पुष्पेन्द्र उसकी दुकान पर आये और पकौड़ी (खाने योग्य) का ऑर्डर दिया। शिकायतकर्ता की पत्नी ने अभियुक्तों/पुनरीक्षणकताओं को 5/–रुपये की पकौड़ी दी। दोनों ने पकौड़ी खाते समय अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि वह कच्ची पकौड़ी बेच रही हैं। शिकायतकर्ता की पत्नी ने दोनों से कहा कि वे 'कच्ची पकौड़ी' न खाये और इसके लिए पैसे न दें। केवल इसी कारण से, दोनों अभियुक्तों/पुनरीक्षणकर्ताओं ने शिकायतकर्ता की पत्नी को परेशान किया और तेल डाला, जिसमें पकौड़ी बनाई गई, और शिकायतकर्ता की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई और अब तक वह सरकारी अस्पताल में हैं और उसका इलाज चल रहा है, उसकी हालत गंभीर है। इस घटना को लखविंदर सिंह, प्रेमपाल व अन्य ने देख लिया। आरोपियों/पुनरीक्षणकर्ताओं ने चेतावनी दी कि आज तो वह बच गयी लेकिन भविष्य में वे उसे व उसके पति को जान से मार देंगे। इसके बाद आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय

दण्ड संहिता की धारा 504, 506 ओर 326 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच के बाद, जांच अधिकारी ने संबंधित न्यायालय के समक्ष भा0द0सं0 की धारा 326, 504 और 506 के तहत अभियुक्तों/पुनरीक्षणकर्ताओं के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

3. अपराध से इनकार करने पर, अभियोजन पक्ष ने सात गवाह, अभियोजन साक्षी संख्या–1 सीमा रस्तोगी, अभियोजन साक्षी संख्या–2 हरद्वारी लाल, अभियोजन साक्षी संख्या–3 डॉक्टर एस ए अब्बास, अभियोजन साक्षी संख्या–4 प्रेम चंद, अभियोजन साक्षी संख्या–5 लखविंद सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या–6 एस आई जयराम और अभियोजन साक्षी संख्या–7 एस आई हेमचन्द्र को परीक्षित कराया। इसके बाद दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता का बयान दर्ज किये गये, जिसमें उन्होंने अपराध से इनकार किया।

4. विचारण न्यायालय ने पक्षों को सुनने और सबूतों के अवलोकन के बाद आक्षेपित निर्णय और आदेश के तहत आरोपियों/पुनरीक्षणकताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के तहत दोषी ठहराया और मु0–3,000/–(केवल तीन हजार) रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पुनरीक्षणवादियों/अभियुक्तों को भा0द0सं0 की धारा 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दोषमक्त कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्तों/पुनरीक्षणकताओं ने सत्र न्यायाधीश, उधम सिंह नगर के समक्ष अपील दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया है।

5. अभियोजन पक्ष का यह स्वीकृत मामला है कि पक्षों के बीच कुछ दुश्मनी थी। पीड़िता की चोट को देखने से यह निष्कर्ष निकलता है कि उसे ऐसी चोट गर्म तेल से कढ़ाई उठाते समय लगी होगी। घायल को लगी चोट की प्रकृति से पता चलता है कि हो सकता है कि यह कढ़ाई उठाते समय लगी हो, जो घायल के शरीर यानी पेट के निचले हिस्से पर लगी। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार आरोप लगाए गए हैं कि पुनरीक्षणकर्ताओं ने पीड़ित/घायल पर गर्म तेल डाला, लेकिन पुनरीक्षणकर्ताओं की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बतायी गई है।

6. अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों पर गौर करने पर चता चलता है कि यद्यपि उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने की कोशिश की, लेकिन वे प्रतिपरीक्षा के दौरान स्थिर रहने में पूरी तरह विफल रहे और उनकी प्रतिपरीक्षा में विरोधभास हैं।

7. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन पर, इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, पुनरीक्षणकताओं के झूठे निहितार्थों से इंकार नहीं किया जा सकता है। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन हालात झूठ नहीं बोल सकते। यदि पुनरीक्षणकताओं को घायल पर गर्म तेल डालना था, तो वे घायल के सिर पर या चेहरे पर भी डाल सकते थे। इस प्रकार, इस न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं है कि यह दुघ र्टना का मामला हो सकता है और शिकायतकर्ता और पुनरीक्षणकताओं के बीच दुश्मनी के कारण पुनरीक्षणकर्ताओं को झूठा फसाया गया है।

8. यद्यपि यह न्यायालय पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में साक्ष्यों की पुनः सराहना करने में धीमा हो सकता है, लेकिन यह न्यायालय

अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में मामले के उचित निर्णय के लिए साक्ष्यों की पुनः सराहना करने में बहुत सक्षम हो सकता है जब यह न्यायालय द्वारा दर्ज किये गये निष्कर्षों में विकृति पाता है। निचले न्यायालय और अभिलेख पर लाए गए सभी तथ्यों, सबूतों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का मत है कि अभियोजन पक्ष भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के तहत पुनरीक्षणकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में विफल रहा।

9. इस न्यायालय के विचार में, निचले न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के तहत पुनरीक्षणकर्ताओं को दोषी ठहराने में घ ोर अवैधता की है। यहां यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि मामले में दो व्यक्तियों को फंसाया गया है और उनकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बतायी गई है। इसलिए पुनरीक्षणकर्ता संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

10. परिणामस्वरूप, आपराधिक पुनरीक्षण स्वीकृत किया जाता है। निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांकित 08.08.2012 और 13.12.2012 को अपास्त किया जाता है।

11. इस निर्णय की एक प्रति अनुपालन हेतु संबंधित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

12. अवर न्यायालय का अभिलेख भी संबंधित न्यायालय को वापस प्रेषित किया जाए।

(लोक पाल सिंह, जे.)

नितेश/ **14.01.2021**